दूरभाष: / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj,
roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं० G-0/215 / OA No. 203/2021 / 2024 दिनांक 11/03/2024

To, E-Mail/Registered Post

The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail:- judicial-ngt@gov.in

Subject:-Compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 203/2021 Devidas Khatri Vs. Union of India in order dated 19-01-2024.

Sir,

With reference to the subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on dated 19-01-2024 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 203/2021 Devidas Khatri Vs. Union of India, the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Encl:-As Above.

Your Sincerely

11/3/24

(R. K. Singh)
Regional Officer

Copy to:-

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
2. District Magistrate, Prayagraj for information.
3. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
5. Sri Pradeep Misra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/NGT, B-235, Sector-19, Noida, for perusal and necessary action please.

Regional Officer

Compliance in O.A. No. 203/2021 Devi Das Khatri Vs. Union of India & Ors. order passed by Hon'ble NGT New Delhi on dated 19 January, 2024.

In aforesaid O.A. Hon'ble NGT has passed following order.

6……"The above expired mining lease holder as also washing units are impleaded as respondents in the OA as it has been submitted that they have violated the environmental norms. The applicant is directed to serve the newly added respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing. The Office is directed to prepare fresh memo of parties.

7……."It will be open to all the concerned parties to file response/objection to the report of the joint Committee filed on 17.01.2024 within a period of three weeks.

8……" Learned Counsel appearing for UPPCB has submitted that in the report of the joint Committee, it has come to light that the units are 8 operating/head operated in violation of the norms. Hence, the UPPCB proposes to initiate action for imposition of EC for past violation against those PPs who have now closed the operation and also to issue show cause notice against those PPs who are operating, to close and to impose Environmental Compensation. The UPPCB is directed to file a fresh action taken report at least one week before the next date of hearing by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

In compliance of above order 42 notices were sent to 42 Washing Plants in Shankargarh area which **is *Annexure-1*** on dated 21.02.2024 for submission for complete compliance report. 05 notices were sent to closed mines for compliance and their reply to submit on dated 22.02.2024 marked as ***Annexure-2.***

Out of which 35 washing plants have submitted compliance report of notice. Inspection was carried out on dated 04 and 05 March, 2024 which running washing plants were found complying.

Out of 42 washing plants 07 were found totally shutdown and no any production activity was found in these units. 35 units found operational.

Total 05 defunct mines lease were found whom notice has been served. Reply received from all 05 mining lease. Recommendation send to HO, UPPCB Lucknow for imposition of Environmental compensation against 02 defaulter mining lease. ***Annexure-3 & 4*** Details are given below:-

S.No.	Name of Unit	Amount of Environmental Compensation (Rs.)	Remark
1	M/s Harihar Prasad Gupta, Bhaisahi, Bara, Prayagraj	30000.00	Consent to operate not obtained
2	M/s Rishi Chawla, Aswan, Bara, Prayagraj	3525000.00	Consent to operate not obtained
3	M/s Hari Mandir Mineral Traders, Chattahra, Bara, Prayagraj	Nil	Consent to operate Granted. Mining has been done only for granted consent period.
4	M/s Sarvshri Om Laxmi Industry, Kachari, Bara, Prayagraj.	Nil	Environmental Clearance not obtained because of old mining lease granted before EIA Guideline dated 14.09.2006 hence Environmental compensation not imposed.
5	M/s Smt. Vijay Laxmi Kesarwani, Kachari, Bara, Prayagraj.	Nil	Environmental Clearance not obtained because of old mining lease granted before EIA Guideline dated 14.09.2006 hence Environmental compensation not imposed.

11/3/24

(R.K. Singh)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Prayagraj

Annex・1

दूरभाषः / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj.
roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं0 G.O.I.109 / OA 2034 / 2021 / 24 दिनांक 21/02/24

सेवा में,

सिलिका वाशिंग (42) इकाईयां
प्रयागराज

विषयः **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 203/2021 देवी दास खत्री बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। अवगत हो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 203/2021 देवी दास खत्री बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 में आपको भी प्रतिवादी बनाया गया है। पारित आदेश में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या दायर किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है। जिसके कम में आपकी इकाई के संबंध में सूचना/सहमति अनुपालन आख्या निम्नलिखित बिन्दुओं पर वांछित हैः–

- वशिंग प्लाट की सहमति की वैधता एवं सहमति अनुपालन आख्या।
- वशिंग प्लाट में सिलिका की धुलाई हेतु चरही की संख्या ।
- वशिंग प्लाट में रिसायकलिंग हेतु बने पक्के टैंक की क्षमता व उसमें जमा हुये स्लज (मिट्टी) के निस्तारण की स्थिति।
- भू–गर्भ जल दोहन हेतु एन0ओ0सी0 की छायाप्रति।
- वाटर मीटर व दैनिक जल खपत की विवरणिका की छायाप्रति।
- 05 वर्ष अथवा इकाई के संचालन की तिथि से रॉ मैटेरियल (रॉ सिलिका) एवं उत्पाद (धुली हुई सिलिका) एवं वर्तमान में परिसर में रॉ सिलिका एवं धुली सिलिका का सत्यापित आंकडा।
- रॉ मैटेरियल (रॉ सिलिका) हेतु भण्डारण की छायाप्रति।
- परिसर में हरित पट्टिका एवं वाउण्ड्रीवाल की स्थिति।
- परिसर में वाहनों के आवागमन हेतु रोड एवं पहुँच मार्ग की स्थिति।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्ण विवरण सहित सूचना पत्र प्राप्ति के 03 दिनों में इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें जिससे अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में ससमय दाखिल की जा सके।

भवदीय,

21/2/24

(आर0 के0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

D/L AEE

Annex·2

दूरभाष / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj,
ropraayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं0 G.O.11/12/ OA·No· 203 of 2021/24 दिनांक 22/04/24

सेवा में,

माइन्स (सिलिका)-05
बारा, प्रयागराज।

विषयः **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 203/2021 देवी दास खत्री बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। अवगत हो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 203/2021 देवी दास खत्री बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 में आपको भी प्रतिवादी बनाया गया है। पारित आदेश में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या दायर किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है। जिसके कम में आपकी माइन्स के संबंध में सूचना/सहमति अनुपालन आख्या निम्नलिखित बिन्दुओं पर वांछित है:–

- माइन्स के पट्टा विलेख की छायाप्रति।
- माइन्स की प्रथम सहमति से वर्तमान सहमति तक की छायाप्रति।
- माइन्स के वर्तमान सहमति की अनुपालन आख्या।
- माइन्स में हुई वर्षवार माइनिंग का डाटा।
- माइन्स के आस–पास कराये गये हरित पट्टिका के विकास कार्य का विवरण।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्ण विवरण सहित सूचना पत्र प्राप्ति के 05 दिनों में इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें जिससे अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में ससमय दाखिल की जा सके।

भवदीय,

22/4/24

(आर0 के0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

AEE

S.No.	List of Mining Units
1	M/s Harihar Prasad Gupta, Bhaisahi, Bara, Prayagraj
2	M/s Rishi Chawla, Aswan, Bara, Prayagraj
3	M/s Hari Mandir Mineral Traders, Chattahra, Bara, Prayagraj
4	M/s Sarvshri Om Laxmi Industry, Kachari, Bara, Prayagraj.
5	M/s Smt. Vijay Laxmi Kesarwani, Kachari, Bara, Prayagraj.

Annex. 3

फोन/ फै0 : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 221506
Email-ropraγagraj@uppcb.in

संदर्भ सं0 G0/214/H-158/2024 दिनांक 11/03/2024

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **श्री हरिहर प्रसाद गुप्ता द्वारा संचालित सिलिका सैण्ड खनन पट्टा ग्राम–भैसाही, तहसील बारा जनपद प्रयागराज (लीज एरिया 3.15 एकण/1.27 हेक्टेयर) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि संदर्भित खनन पट्टे के संबंध में राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, उ0प्र0 के द्वारा पत्र दिनॉक 08.10.2013 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया था। संदर्भित खनन पट्टे द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत न तो स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया एवं न ही संचालन से पूर्व सहमति आदेश प्राप्त किया गया।

मा0 एनजीटी नई दिल्ली द्वारा ओ0सं0 203/2021 देवीदास खत्री बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 19.01.2024 के अनुपालन में संदर्भित खनन पट्टे को इस कार्यालय के पत्र दिनॉक 22.02.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया। प्रेषित नोटिस के अनुपालन में श्री हरिहर प्रसाद गुप्ता द्वारा अपना प्रतिउत्तर इस कार्यालय में दिनॉक 04.03.2024 को प्राप्त कराया गया, **(छायाप्रति संलग्न)** जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि खनन पट्टे में दिनॉक 13.02.2018 को खनन कार्य पूर्ण रूप से बंद करते हुए सूचना खनन विभाग, प्रयागराज को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त से स्पष्ट है कि पट्टेधारक श्री हरिहर प्रसाद गुप्ता द्वारा दिनॉक 20.02.2015 से 13.02.2018 तक खनन कार्य किया गया है एवं उक्त अवधि में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है।

अवगत कराना है कि डिफाल्टर इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा दिनॉक 08.02.2018 को गाईड लाईन जारी किया गया है, जिसमें डिफाल्टर इकाईयों के विरूद्ध न्यूनतम रू0 5000 प्रति दिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है।

अतः गाईड लाईन जारी होने की तिथि अर्थात दिनॉक 08.02.2018 से दिनॉक 13.02.2018 तक के मध्य की अवधि अर्थात 6 दिनों हेतु रू0 5000 प्रति दिन दर से कुल रू0 30000.00 मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

11/3/24

(आर0के0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

on
AEE

F:SUNIL KUMAR P.A./RO. COM-4

Annex-4

दूरभाष / Ph. : 0532-2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूँसी, प्रयागराज - 221506
Email-roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं० G-01313/R-221/2024 दिनांक 11/03/2024

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **श्री ऋषि चावला द्वारा संचालित सिलिका सैण्ड खनन पट्टा गाटा सं0 13, 15 से 18, 137,160,168,169, 172 से 174, 190, 191,198 से 200 एवं 212, ग्राम-असवॉं, तहसील बारा जनपद प्रयागराज (लीज एरिया 20.59 हेक्टेयर) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि संदर्भित खनन पट्टे के संबंध में राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, उ0प्र0 के द्वारा पत्र दिनॉक 30.09.2013 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया था। संदर्भित खनन पट्टे द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत न तो स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया एवं न ही संचालन से पूर्व सहमति आदेश प्राप्त किया गया।

मा0 एनजीटी नई दिल्ली द्वारा ओ0सं0 203/2021 देवीदास खत्री बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 19.01.2024 के अनुपालन में संदर्भित खनन पट्टे को इस कार्यालय के पत्र दिनॉक 22.02.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया। प्रेषित नोटिस के अनुपालन में श्री ऋषि चावला द्वारा अपना प्रतिउत्तर इस कार्यालय में दिनॉक 05.03.2024 को प्राप्त कराया गया, **(छायाप्रति संलग्न)** जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि खनन पट्टे की अवधि दिनॉक 13.01.2020 को समाप्त हो चुकी है। उक्त से स्पष्ट है कि पट्टेधारक श्री ऋषि चावला द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनॉक 30.09.2013 प्राप्त होने के उपरांत दिनॉक 13.01.2020 तक खनन कार्य किया गया है एवं उक्त अवधि में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है।

अवगत कराना है कि डिफाल्टर इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा दिनॉक 08.02.2018 को गाईड लाईन जारी किया गया है, जिसमें डिफाल्टर इकाईयों के विरूद्ध न्यूनतम रू0 5000 प्रति दिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है।

अतः गाईड लाईन जारी होने की तिथि अर्थात दिनॉक 08.02.2018 से दिनॉक 13.01.2020 तक के मध्य की अवधि अर्थात 705 दिनों हेतु रू0 5000 प्रति दिन की दर से कुल रू0 3525000.00 मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

11/3/24

(आर0के0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

F-SUNIL KUMAR P.A./RO. COM-4